

माननीय माता-पिता/गार्जियन:

यह खत उन लोगों के लिए है जिनका कोई बच्चा किसी घर आधारित डे केयर या किसी बाल सेवा केन्द्र में जा रहा है। हमें सभी बच्चों को खाना-पीना देना ज़रूरी है। कृपया "मील बेनेफिट" यानी भोजन पाने के फार्म को भरकर हमें अग्रीकी कृषि विभाग (USDA) के CACFP कार्यक्रम की आवश्यकताओं का पालन करने में अपना सहयोग दें।

जो बच्चे किसी घर आधारित डे केयर में भरती हैं:

आपका बच्चा _____ के घर में भरती है। इस डे केयर प्रदायक ने हमारी एजन्सी के साथ समझौता किया है और तदुपरांत, USDA के CACFP कार्यक्रम का स्तर II प्रदायक माना गया है। इस समझौते के अंतर्गत, जब आपका घर आधारित डे केयर प्रदायक आपके बच्चे का देख-भाल करते समय उसे भोजन देता है तो सरकार उसे पैसे वापस करती है। देख-भाल किये जाने वाले बच्चों की पारिवारिक आय देखते हुए आपके घर आधारित डे केयर प्रदायक को कुछ हद तक पैसे वापस किये जाते हैं। कृपया संलग्न भोजन पाने के फार्म को भरकर हमें जल्द से जल्द वापस कर दें। कृपया इस भोजन पाने के फार्म को अपने घर आधारित डे केयर प्रदायक को वापस मत करें।

आपके परिवार की संख्या और आय को देखते हुए, आपके घर आधारित डे केयर प्रदायक को आपके बच्चे के भोजन के लिए, चाहे तो अधिक, यानी स्तर I, चाहे कुछ कम, यानी स्तर II के हिसाब से पैसे लौटाए जाएँगे। अगर आपके परिवार को इस वक्त निम्न के अंतर्गत कोई लाभ मिल रहा है:

- फूड स्टैम्प कार्यक्रम (F.S.);
- गरीब परिवारों हेतु अल्पकालिक सहायता (TANF)
- मूल अग्रीका निवासी इलाकों में भोजन वितरण कार्यक्रम (FDPIR); या
- कोई भी उपयुक्त राष्ट्रीय या राजकीय समर्थन पाने वाला शिशु सेवा या अन्य लाभकर कार्यक्रम (संलग्न अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों की सूची देखें),

तो भोजन पाने के फार्म के ऊपर केवल अपना F.S., TANF, FDPIR या अन्य कार्यक्रम केस नम्बर लिख दें। इसके बाद, किसी वयस्क से भोजन पाने के फार्म पर हस्ताक्षर कराके तिथि लिखकर उनका सोशल सिक्युरिटी नम्बर लिखवाएँ, या अगर वयस्क का कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो फार्म पर "कोई नहीं" लिख दें। ऐसा करने पर आपके घर आधारित डे केयर प्रदायक को, आपके बच्चे को परोसे गये भोजन के लिए और अधिक, यानी स्तर I के हिसाब से पैसे मिलेंगे।

लेकिन अगर आपके परिवार को F.S., TANF, FDPIR, या अन्य उपयुक्त कार्यक्रम (जिसकी सूची साथ दी गई है) के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलता है, तो भोजन पाने के फार्म को भरते समय कृपया निम्न सूचना देना मत भूलें:

- परिवार के हर सदस्य का नाम और उसकी आय का स्रोत; तथा
- किसी वयस्क से भोजन पाने के फार्म पर हस्ताक्षर कराके तिथि लिखकर उनका सोशल सिक्युरिटी नम्बर लिखवाएँ, या अगर वयस्क का कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो फार्म पर "कोई नहीं" लिख दें।

अगर बच्चा किसी बाल सेवा केन्द्र में भरती है:

कृपया संलग्न भोजन पाने के फार्म को भरने और सही करने के बाद हमें जल्द से जल्द इसे लौटा दें। हमारे केन्द्र में भरती बच्चों को अलग से पैसे दिये बगैर ही भोजन मिलता है, मगर पात्रता वर्ग स्पष्ट हो जाए तो यह बात निश्चित हो जाती है कि हमारे केन्द्र को किस हिसाब से राष्ट्रीय निधिकरण मिलेगा।

अगर आपके परिवार को इस वक्त निम्न के अंतर्गत कोई लाभ मिल रहा है:

- फूड स्टैम्प (FS) कार्यक्रम;
- गरीब परिवारों हेतु अल्पकालिक सहायता (TANF);
- मूल अमीका निवासी इलाकों में भोजन वितरण कार्यक्रम (FDPIR);

तो भोजन पाने के फार्म के ऊपर केवल अपने फूड स्टैम्प, TANF, FDPIR का केस नम्बर लिख दें। इसके बाद, किसी वयस्क से भोजन पाने के फार्म पर हस्ताक्षर कराके तिथि लिखकर उनका सोशल सिक्युरिटी नम्बर लिखवाएँ, या अगर वयस्क का कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो फार्म पर "कोई नहीं" लिख दें।

लेकिन अगर आपके परिवार को फूड स्टैम्प, TANF, FDPIR के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो भोजन पाने का फार्म भरते समय कृपया निम्न सूचना देना मत भूलें:

- परिवार के हर सदस्य का नाम और उसकी आय का स्रोत; तथा
- किसी वयस्क से भोजन पाने के फार्म पर हस्ताक्षर कराके तिथि लिखकर उनका सोशल सिक्युरिटी नम्बर लिखवाएँ, या अगर वयस्क का कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो फार्म पर "कोई नहीं" लिख दें।

सभी परिवारों हेतु:

USDA के अनुसार परिवार या गृहस्थी की परिभाषा यून है - रिश्तेदारों या बिना रिश्ता रखने वाले लोगों का कोई समूह (किसी संस्था या होटल जैसे जगह के निवासी नहीं) जो कि एक आर्थिक इकाई बनकर रह रहा है (यानी साथ मिलकर रोज़ी-रोटी कमा और बाँट रहे हैं)। तदपश्चात्, भोजन पाने के फार्म पर बताई गई आमदानी में आपके परिवार के हर सदस्य की आय और इसका स्रोत सम्मिलित होना चाहिये।

फार्म पर बतायी गयी आमदनी में आपके परिवार के हर सदस्य के पिछले महीने की कुल आय, स्रोत सहित, प्रस्तुत होना चाहिये। यदि आपको लगे कि पिछले महीने की आमदनी आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करती, तो आप अपनी मानसिक आमदनी का अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ हो, तो आप पिछले महीने की आमदनी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। संलग्न आय-चार्ट पर आपके परिवार की संख्या के हिसाब से जो आमदनी बताई गई है, उसके मुकाबले में अगर आपकी आमदनी कम है या इसके बराबर है, तो आपके बच्चे को परोसे गए भोजन के लिए केन्द्र को अधिक पैसे वापस मिल सकते हैं।

अगर साल के दौरान आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आपको हमें इस बारे में सूचित करना आवश्यक है। अगर आपके परिवार की संख्या घट जाए, या आपकी आमदनी \$50/महीना, यानी \$600/वर्ष से अधिक बढ़ जाए, तो आपको हमें सूचित करना आवश्यक है। अगर आपने फार्म पर अपने फूड स्टैम्प, गरीब परिवारों हेतु अल्पकालिक सहायता (TANF), या मूल अमीका निवासी इलाकों में भोजन वितरण कार्यक्रम (FDPIR) का केस नम्बर दिया है, और इसके बाद ये लाभ बंद हो जाएँ, तो आपको हमें सूचित करना आवश्यक है। साथ-साथ, अगर आप बेरोज़गार बन जाएँ, और बेरोज़गारी के समय आपकी आय कम हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी पारिवारिक आमदनी अब इस कार्यक्रम हेतु उयुक्त मानी जाए।

फॉस्टर बच्चे:

"फॉस्टर" बच्चों के परिवार - कृपया भोजन पाने के फार्म भरने के आदेश देखें, या विस्तृत सूचना हेतु हमसे सम्पर्क करें।

भोजन पाने के फार्म में बताई गई सूचनाओं की गोपनीयता:

इस फार्म पर बताई गई सूचनाओं के आधार पर हम यह निश्चित करेंगे कि आपके घर आधारित डे केयर प्रदायक या बाल सेवा केन्द्र को किस हिसाब से पैसे वापस दिये जा सकते हैं। यह संभव है कि हम शिशु आहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रमों के अन्य अधिकारियों को आपके फार्म पर प्रस्तुत सूचनाएँ प्रेषित करें ताकि इनके अंतर्गत भी आपको लाभ या भत्ते मिल सकें।

कार्यक्रम में विभेदन की मनाही:

अमरीकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, विभाग के किसी भी कार्यक्रम या क्रिया में जाति, रंग, राष्ट्रीय उत्पत्ति, लिंग, उम्र या अशक्तता के आधार पर विभेदन करना हर्षित निषेध है। अशक्त लोगों को, जिन्हें कार्यक्रम सूचना संचार हेतु अन्य माध्यम की आवश्यकता हो (जैसे कि ब्रेल, बड़े अक्षरों की लिपि, आडियोटेप आदि) उन्हें USDA के टारगेट केन्द्र से (202) 720-2600 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) सम्पर्क करना चाहिये।

विभेदन आधारित शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न से सम्पर्क करें: USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20250-9410 या (202) 720-5964 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) पर USDA से सम्पर्क करें। USDA एकसमान मौके का प्रदायक और नियोक्ता है।

आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

आपका,

संस्था प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

तिथि